

**बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग**

प्रेषक:

कल्पना कुमारी,
अनुश्रवण पदाधिकारी

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक 15/6/2022

विषय:- बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायकों को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुबंध/संविदा आधारित मानदेय भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के परिपत्र द्वारा स्वीकृत दर के अधीन अनुमान्य वर्द्धित दर सहित राशि कुल ₹15,80,57,000/- (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख सन्तावन हजार रुपये) मात्र के राशि की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के क्रियान्वयन में सहयोग हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी के कार्यालय में कार्यरत कार्यपालक सहायकों के मानदेय भुगतान हेतु बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन, बिहार, पटना एवं विभागीय परिपत्र के अधीन अनुमान्य आधार पर वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सभी संबंधित जिलों को निम्नवत् राशि स्वीकृत करते हुए कुल ₹15,80,57,000/- (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख सन्तावन हजार रुपये) मात्र की वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है -

क्र० सं०	कार्यालय का नाम	प्रखंड की सं०	कार्यपालक सहायकों की सं०	स्वीकृत राशि
1	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अरवल।	05	05	₹15,00,000.00 (पन्द्रह लाख रुपये मात्र)।
2	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, औरंगाबाद।	11	11	₹33,00,000.00 (तैंतीस लाख रुपये मात्र)।
3	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बाँका।	11	11	₹33,00,000.00 (तैंतीस लाख रुपये मात्र)।
4	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भोजपुर।	14	14	₹42,00,000.00 (बयालिस लाख रुपये मात्र)।
5	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बक्सर।	11	11	₹33,00,000.00 (तैंतीस लाख रुपये मात्र)।
6	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण।	27	27	₹81,00,000.00 (ईक्कासी लाख रुपये मात्र)।
7	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गोपालगंज।	14	14	₹42,00,000.00 (बयालिस लाख रुपये मात्र)।
8	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जहानाबाद।	07	07	₹21,00,000.00 (ईक्कीस लाख रुपये मात्र)।
9	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कैमूर।	11	11	₹33,00,000.00 (तैंतीस लाख रुपये मात्र)।
10	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, कटिहार।	16	16	₹48,00,000.00 (अड़तालीस लाख रुपये मात्र)।

11	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, खगड़िया।	07	07	₹21,00,000.00 (इक्कीस लाख रुपये मात्र)।
12	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	09	09	₹27,00,000.00 (सत्ताईस लाख रुपये मात्र)।
13	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर।	16	16	₹48,00,000.00 (अड़तालीस लाख रुपये मात्र)।
14	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	14	14	₹42,00,000.00 (बयालिस लाख रुपये मात्र)।
15	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पटना।	23	23	₹55,60,000.00 (पचपन लाख साठ हजार रुपये मात्र)।
16	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, समस्तीपुर।	20	20	₹60,00,000.00 (साठ लाख रुपये मात्र)।
17	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सारण।	20	20	₹60,00,000.00 (साठ लाख रुपये मात्र)।
18	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शेखपुरा।	06	06	₹18,00,000.00 (अठारह लाख रुपये मात्र)।
19	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सुपौल।	11	11	₹27,70,000.00 (सत्ताईस लाख सत्तर हजार रुपये मात्र)।
20	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण।	18	18	₹54,00,000.00 (चौबन लाख रुपये मात्र)।
21	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बेगूसराय।	18	18	₹54,00,000.00 (चौबन लाख रुपये मात्र)।
22	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, भागलपुर।	16	16	₹48,00,000.00 (अड़तालीस लाख रुपये मात्र)।
23	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, दरभंगा।	18	18	₹54,00,000.00 (चौबन लाख रुपये मात्र)।
24	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सहरसा।	10	10	₹30,00,000.00 (तीस लाख रुपये मात्र)।
25	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, शिवहर।	05	05	₹12,27,000.00 (बारह लाख सत्ताईस हजार रुपये मात्र)।
26	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, गया।	24	24	₹72,00,000.00 (चौबीस लाख रुपये मात्र)।
27	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, अररिया।	09	09	₹27,00,000.00 (सत्ताईस लाख रुपये मात्र)।
28	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, लखीसराय।	07	07	₹21,00,000.00 (इक्कीस लाख रुपये मात्र)।
29	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा।	13	13	₹39,00,000.00 (उनचास लाख रुपये मात्र)।
30	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी।	21	21	₹63,00,000.00 (तिरसठ लाख रुपये मात्र)।
31	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, पूर्णियाँ।	14	14	₹42,00,000.00 (बयालिस लाख रुपये मात्र)।
32	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वैशाली।	16	16	₹48,00,000.00 (अड़तालीस लाख रुपये मात्र)।
33	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, रोहतास।	19	19	₹57,00,000.00 (सन्तावन लाख रुपये मात्र)।
34	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी।	17	17	₹51,00,000.00 (इक्कावन लाख रुपये मात्र)।
35	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, सीवान।	19	19	₹57,00,000.00 (सन्तावन लाख रुपये मात्र)।

36	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, किशनगंज।	07	07	₹21,00,000.00 (ईक्कीस लाख रुपये मात्र)।
37	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, जमुई।	10	10	₹30,00,000.00 (तीस लाख रुपये मात्र)।
38	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नालंदा।	20	20	₹60,00,000.00 (साठ लाख रुपये मात्र)।
कुल:-		534	534	₹15,80,57,000/- (पन्द्रह करोड़ अस्सी लाख सन्तावन हजार रुपये) मात्र

3. इस स्वीकृत राशि की निकासी राज्य स्कीम अन्तर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-001-निर्देशन तथा प्रशासन-उप शीर्ष-0102-जिला पंचायत की स्थापना" मद के "विषय शीर्ष-0102.28.02-संविदा सेवाएँ" से वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जाएगी। इसकी माँग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या-16-2515000010102 है।
4. इस स्वीकृत राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिले के जिला पंचायत राज पदाधिकारी होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार, से बिहार कोषागार संहिता 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे।
5. इस राशि का आवंटनादेश निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को अलग से निर्गत किया जाएगा जिसके आधार पर राशि की निकासी की जाएगी। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि के व्ययोपरान्त नियमानुसार व्यय विवरणी एवं उपयोगित, प्रमाण पत्र यथाशीघ्र पंचायत राज विभाग को उपलब्ध करायेंगे। सभी कर्मियों को निर्धारित मानदेय अनुमान्य दर पर नियमानुसार भुगतान एवं आवश्यक कटौती करने का दायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। किसी भी प्रकार के गलत भुगतान के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
6. वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2017 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-03/टि०पर दिनांक-24.05.2022 को प्राप्त है।
8. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) के टिप्पणी पृष्ठ सं०-05/टि० पर दिनांक-08.06.2022 को प्राप्त है।
9. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव एवं प्रारूप पर स्वीकृति प्राधिकार-सह विभागीय मंत्री, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1) के टिप्पणी पृष्ठ सं०-05/टि० पर दिनांक-10.06.2022 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन
(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1)/04/10/पं०रा० पटना, दिनांक 15/6/2022
प्रतिलिपि-सभी जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1)/04/10/पं०रा० पटना, दिनांक 15/6/2022
प्रतिलिपि-सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1)/०४(एवी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/6/2022
प्रतिलिपि-सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला
परिषद्, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कल्पना कुमारी)
15/06/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

ज्ञापांक-3प/मु०मं०नि०यो०-19-02/2017(पार्ट-1)/०४(एवी०)/पं०रा० पटना, दिनांक 15/6/2022
प्रतिलिपि-प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5/आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई०टी० मैनेजर को निदेश दिया जाता है कि स्वीकृत्यादेश की
प्रति विभाग के वेबसाईट पर डालेंगे तथा सभी संबंधितों को ई-मेल के माध्यम से संबंधित को सूचित करेंगे।

(कल्पना कुमारी)
15/06/2022

अनुश्रवण पदाधिकारी

५